ग्राम पंचायत दिग्गल, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखों का
लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दिग्गल, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधान

क्र0सं0	प्रधान	अवधि
1	श्रीमती कुंता देवी	1.4.14 से 22.1.15
2	श्री मंजू बाला	23.1.15 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्री हरी दास	1.4.14 से 22.12.2016
2	श्री श्याम लाल	23.12.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	8.06
2	8 (i)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.30
3	10	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही	2.37

		स्टॉक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना	
4	15 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	2.37

भाग–दो

2 ग्राम पंचायत दिग्गल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, दिग्गल में किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3/15, 03/16 व 10/16 तथा व्यय हेतु माह 01/15, 08/15 व 10/16 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित रहेगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

ग्राम पंचायत दिग्गल के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 55 दिनांक 19.06.2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत दिग्गल के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	912095.40	1250662	2162757.40	892655.00	1270102.40
2015–16	1270102.40	1533947	2804049.40	1031415.63	1772633.77
2016–17	1772663.77	2617579	4390212.77	2639366.93	1750845.84

परिशिष्ट "क"

(ख) वाटर शेडः–

ग्राम पंचायत दिग्गल के IWMP से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	322434.70	709853.00	1032287.70	97980.00	934307.70
2015–16	934307.70	203852.00	1138159.70	886965.98	251193.72
2016–17	251193.72	439395.75	690589.47	470354.93	220234.54

परिशिष्ट "क"

(ग) इंदिरा आवास योजना (IAY)

ग्राम पंचायत दिग्गल के **IAY** से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	46432.00	240985	287417.00	190357.40	97059.60
2015–16	97059.60	142112	239171.60	161432.98	77738.62
2016–17	77738.62	670916	748654.62	198068.93	550585.69

परिशिष्ट "क"

(घ) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत दिग्गल के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	6910.80	718524	725434.80	725434.80	0.00
2015–16	0.00	418456	418456.00	418456.00	0.00
2016–17	0.00	1244113	1244113.00	1244113.00	0.00

परिशिष्ट "क"

5 **(i) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–**

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य थी। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹154293.50 का अन्तर दर्शाया गया था जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	1750845.84	1789101.99	38256.15
2	वाटर शेड	220234.4	336271.89	116037.35
			कुल योग	**154293.50**

दिनांक 1.4.14 को आरम्भिक शेषों का विवरण (Audited trial balance 2013-14 के अनुसार)

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष
स्वःस्त्रोत व अनुदान	P.N. Bank Diggal	116300010006437	198972.93
	JCC Bank Diggal	103334022000179	706732.04
	JCC Bank Ramshehar	–	386.13
	Post office Diggal	–	1550.80
	Un cashed cheque	–	4050.00
	Cash in hand		403.50
	Total		912095.40
IWMP-I	PN Bank Diggal	11631000100534596	301260.20
	PN Bank Diggal	1163000100537970	6896.00
	PN Bank Diggal	1163000100531234	14121.00
	Cash in hand		157.50
	Total		322434.70
IAY	PN Bank Diggal	1163000100040376	46432 (Balance as per bank Pass book)
MGNREGA	PN Bank Diggal	11630001000527125	6910.80 (-do-)

दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेषों का विवरण

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	शेष
स्वःस्त्रोत व अनुदान	P.N. Bank Diggal	116300010006437	113713.52
	JCC Bank Diggal	103334022000179	1673084.54
	JCC Bank Ramshehar	–	386.13
	Post office Diggal	–	1550.80
	Cash in hand		367.00
	Total		1789101.99
IWMP-I	PN Bank Diggal	11631000100534596	152377.30
	PN Bank Diggal	1163000100537970	41206.00
	PN Bank Diggal	1163000100531234	142685.09
	Cash in hand		3.50
	Total		336271.89
IAY	PN Bank Diggal	1163000100040376	550585.69
MGNREGA	PN Bank Diggal	11630001000527125	0.00

(ii) बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31.3.2017 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः—

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंकों/डाक घर में दिनांक 31.3.2017 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाए गए शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2017 को जमा राशि
JCC Bank Ramsher	————	386.13
Post office Diggal	————	1550.80

6 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

(i)रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया था, कटिंग्स की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप में निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। पंचायत द्वारा प्रत्येक प्राप्त राशि को बैंक में जमा करवाया जाना चाहिए तथा सभी भुगतान बैंक के माध्यम से ही किये जाने चाहिए केवल Impres्t की राशि को हस्तगत रखा जा सकता है। अतः नियमों के

विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	राशि
3.9.14 से 8.9.14	2062, 2547
21.10.14 से 26.12.14	5893, 5913, 5938, 2252, 2262, 2697, 2702
8.1.15 से 31.1.15	6663, 3459, 3484, 1308, 1122
5.8.15 से 22.9.15	13393, 12718, 6687, 6823, 3270
22.1.16 से 28.1.16	4669

7 अनुदानः–

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹806161 शेष दर्शाई गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोध होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों को उनके शीर्षों/निर्माण कायों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं

किये गए जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को सही शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में अभिलेख का नियमित रूप से रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की वसूली सम्बन्धी अनियमितताएं:–

(क)पंचायत राजस्व ₹0.30 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹30040 (27540+2500) राजस्व की कम वसूली की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(i) गृहकरः–

परिशिष्ट–घ

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृह कर
2014–15	488	20	––	9760	9760	2080	7680
2015–16	514	20	7680	10280	17960	1360	16600
2016–17	550	20	16600	11000	27600	60	27540

(ii) मोबाईल टावर शुल्कः–

कम्पनी का नाम	टावर की सं0	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	प्राप्ति	बकाया
AIRTEL	1	––	2500	2500	0	5000
		5000	2500	7500	7500	0
		0	2500	2500	0	2500

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर तथा मोबाईल टावर किराए की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर तथा मोबाईल टावर किराए के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। जिस कारण दिनांक 1.4.14 को गृहकर तथा मोबाईल टावर किराए की वसूली हेतु बकाया राशि तथा वसूली रेट के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किय जायें।

(ग) शराब उपकर की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत को वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में शराब उपकर की सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शराब उपकर की वसूली सम्बन्धित विभागों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट"ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) परिशिष्ट "ग" की क्रम संख्या 2 पर दर्शाए गए निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 1404, पृष्ठ संख्या 10 में निर्माण कार्य पर 40.54 सीमेंट बैग्स की खपत दर्शाई गई थी। परन्तु स्टॉक रजिस्टर (निर्माण सामग्रियाँ) की पृष्ठ संख्या 19 के अनुसार इस निर्माण कार्य हेतु केवल 20 बैग्स जारी दर्शाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) (क) अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "ग"** में वर्णित निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक / वित्तीय / तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन / आंकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

परिशिष्ट "ग" के अनुसार	निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति नहीं दर्शाई गई	निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनके प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृतियाँ तथा मूल्यांकन नहीं दर्शाए गए	निर्माण कार्य्रें की क्रम संख्या जिनकी माप पुस्तिका नहीं दर्शाई गई
निर्माण कार्य क्रम संख्या 1 से 7	क्रम संख्या 3, 6 तथा 7 को छोड कर किसी की भी स्वीकृतियाँ नहीं दर्शाई गई। क्रम संख्या 3 तथा 4 को छोड कर किसी के भी Work order नहीं दर्शाए गए	क्रम संख्या 4, 6 तथा 7 के नहीं दर्शाए गए	क्रम संख्या 4, 6 तथा 7 की नहीं दर्शाए गए

(ii) (ख) इसके अतिरिक्त IWMP के चयनित मासों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राकलन/आंकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं आदि पंचायत कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित करें।

(iii) परिशिष्ट "ग" में मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों हेतु कह स्वीकृत राशियाँ इन निर्माण कार्यों पर व्यय की गई तथा तकनीकी अधिकारी द्वारा मूल्याकिंत राशियाँ दर्शाई गई थी। परिशिष्ट में दर्शाई गई निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनुमानित एवं स्वीकृत राशियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शेल्फ में दर्शाई गई निर्माण कार्यों की अनुमानित राशियों से मेल नहीं खाती थी। इन निर्माण कार्यों पर जो राशियाँ व्यय की गई थी वे इन निर्माण कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शेल्फ में दर्शाई गई अनुमानित राशियों से अधिक थी। उदाहरणार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शेल्फ में RRWH Tank (श्री जय प्रकाश पुत्र मंशा राम) हेतु अनुमानित लागत ₹58800 तथा land development (श्री संत पाल लेख राम) हेतु अनुमानित लागत ₹25000 दर्शाई गई थी परन्तु परिशिष्ट "ग" में अनुमानित लागत/स्वीकृत राशि क्रमशः ₹63500 तथा ₹27500 दर्शाई गई थी। साथ ही इन निर्माण कार्यों पर वास्तविक व्यय क्रमशः ₹63500 तथा ₹27500 किया गया था। चर्चा के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ग्राम

पंचायत इन निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शेल्फ में लिखित अनुमानित लागत से कितना अधिक व्यय करने हेतु अधिकृत थी। जिस कारण इन पर किये गए क्रमशः ₹4700 (63500–58800) तथा ₹2500 (27500–25000) के अधिक व्यय की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उपरोक्त तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित अन्य निर्माण कार्यों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित (shelf) शेल्फ में दर्शाई गई निर्माण कार्यों की लागत से अधिक किये गए व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iv) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (material consumption statement) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही थी। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की consumption निकालने हेतु consumption factors का विवरण नहीं दिया जा रहा था। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (material consumption statement) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(v) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कई निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने की तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। जिस कारण निर्माण कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर निष्पादित कर दिए गये थे इस तथ्य की पुष्टि करना सम्भव नहीं होता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(vi) ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो register of techinal checks and technical sanctioned estimates का रजिस्टर form-31 पर तैयार किया जा रहा था तथा न ही estimates की छाया प्रतियाँ higher technical authority को submit की जा रही थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय सम्बन्धी अनियमितताएं:–

औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.37 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्राविधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹236725 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। जिन कुछ प्रकरणों में अवतरनें (Quotations) प्राप्त की गई थी वह न तो diary की गई थी तथा न ही क्रय sub committee (नियम 67 (3) द्वारा सत्यापित की गई थी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह कोटेशन्स सीलबन्द भी नहीं थी जिस कारण कोटेशन्स संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	01/15	8	15050	पाइप्स
		9	2200	किराया
			11800	रेत
			23520	बजरी
			7800	लोहे के जंगले की फिटिंग तथा किराया
			2800	शटरिंग
			36100	रेत आदि
			22000	बजरी आदि
			7000	शेटरिंग का किराया
			7000	बजरी की बकाया राशि का भुगतान

	10/16	73	27900	रेत, बजरी आदि
			45060	गटका
			2800	ढुलान
वाटर शेड	8/15	32	10070	रेत
			14000	बजरी
			1625	गटका
		कुल योग	**236725**	

11 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गए मैटीरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान के एवज में पावतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अलावा कुछ मस्टर रोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	01/15	8	4190	सीमेंट
मनरेगा	01/15	117	15554	मस्टर रोल संख्या 1220
			7546	मस्टर रोल संख्या 1221
			6006	मस्टर रोल संख्या 1222
	10/16	7	11900	मस्टर रोल संख्या 1119
		8	19040	मस्टर रोल संख्या 1280

12 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹0.67 लाख के स्वीकृति पत्र तथा उपयोकगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को मकान (IAY) निजी शौचालय निर्माण हेतु निम्नानुसार ₹66600 जारी की गई थी। परन्तु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृ0सं0	माह	राशि (₹)
IAY	14	01/15	37500
	23	10/16	5100
			12000
			12000
	कुल योग		**66600**

13 TA/DA के ₹896 के अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताओं बारेः–

माह 01/15 में सामान्य रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या 10 पर तकनीकी सहायक को ₹3360 के TA/DA के भुगतान से सम्बन्धित वाउचर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः'–

(i) TA claim फार्म के साथ संलग्न Tour dairy में सुबह चलने का समय 8 बजे तथा TA claim फार्म पर दिग्गल वापिस पहुंचने का समय शाम 7 बजे दर्शाया गया था। Govt. of Himachal Pradesh, Department of Panchayti Raj द्वारा जारी notification No. PCH-HB(1)12/2002-11-4750-5116, Shimla-9, dated 7.6.2008 के अनुसार 12 घंटे से कम Tour के लिए normal daily का 70**%** देय था। जिसके अनुसार daily का भुगतान ₹784 (39.20 (56 का 70**%**)X20 दिन) तथा कुल भुगतान ₹2464 (784 daily+1680(84x20 दिन, किराया) बनता था जबकि कुल भुगतान ₹3360 किया गया था। इस प्रकार 896 (3360–2464) अधिक भुगतान किया गया था। स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹896 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) पाया गया कि TA claim में सभी यात्राएं (15.3.14 से 2.1.15) दिग्गल से नालागढ़ तथा वापिस दिग्गल दर्शाई गई थी, परन्तु TA claim फार्म पर यात्रा आरम्भ तथा यात्रा समाप्ति के समय से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः भविष्य में TA claim फार्म का सही तथा नियमानुसार भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) Govt. of himachal Pradesh, department of panchayti Raj द्वारा जारी notification No. PCH-HB (1) 12/2002-11-4750-5116, Shimla-9 dated 7.6.2008 के निर्देशों के विपरीत TA claim के साथ बस किराए की टिकटे संलग्न नहीं पाई गई। अतः भविष्य में निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 ₹20 का अधिक भुगतान करनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹20 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹20 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	किया गया भुगतान	जितना भुगतान बनता था	अधिक भुगतान	टिप्पणी/विवरण
सामान्य	08/15	27	653	641	12	बिल के विलम्ब शुल्क का भुगतान
	01/15	11	436	428	8	बिल के विलम्ब शुल्क का भुगतान
				कुल योग	**20**	

15 स्टोर/स्टॉकः–

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस

सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों मे भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं। ग्राम पंचायत के अनुसार (रफ शीटस की पृष्ठ संख्या 3 पर) स्टॉक सामग्री रजिस्टर update करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण**
सामान्य (स्वःस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	01/15	8	15050	पाइप्स
		9	11800	रेत
			23520	बजरी
			7800	लोहे के जंगले की फिटिंग तथा किराया
			2800	शटरिंग
			36100	रेत आदि
			22000	बजरी आदि
			7000	बजरी
		10	250	स्टेशनरी
	08/15	28	3045	स्टेशनरी
	10/16	73	27900	रेत, बजरी आदि

			45060	गटका
वाटर शेड	08 / 15	32	10070	रेत
			14000	बजरी
			1625	गटका
मनरेगा	10 / 16	8	9365	सीमेन्ट
		कुल योग	**237385**	

(iii) स्टॉक सामग्री रजिस्टर के रख रखाव बारेः–

स्टॉक सामग्री रजिस्टर (प्रारूप–6) में सीमेंन्ट की प्राप्तियों तथा निर्माण कार्यों को जारी करने सम्बन्धी कई प्रविष्टियों (पृष्ठ संख्या 19) का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्तम्भ (10) में सत्यापन नहीं किया गया था जिस कारण यह प्रविष्टियाँ विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

16 विविधः–

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। रसीद बुकों का प्रयोग भी क्रमानुसार नहीं किया जा रहा था। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित

करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। यह प्रतीत होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में स्वस्त्रोतों से प्राप्त आय को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित न किया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कई भुगतान सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के बिना ही कर दिए गए थे जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि	विवरण
मनरेगा	10/16	7	14450	मस्टर रोल संख्या 1117
मनरेगा	01/15	9	3064	टेलीफोन बिल
	01/15	9	2200	किराया

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था । मस्टर रोल्स का Part III (रोकड़ बही, सामान्य) जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य का माप/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है यह नहीं किया जा रहा था। मस्टर रोल्स पर कटिंग्स/ओवर राईटिंग भी की गई थी। उदाहरणार्थ मस्टर रोल संख्या 1222 तथा 1279 (माह 01/15 तथा 10/16 मनरेगा) मस्टर रोल रजिस्टर भी सभी स्तम्भों में सम्पूर्ण विवरण

नहीं भरा जा रहा था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। साथ ही बजट निर्धारित फार्म 11 पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28), miscellaneous demand and collection register (फार्म–10), अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, (फार्म–9) Register of bills received (फार्म–13), Stock register of non consumable articles (फार्म–25), Stock register of consumable articles other than stationary and printed material (फार्म–26), माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टोक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार (रफ शीटस की पृष्ठ संख्या 3 पर) अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया दिया जाएगा।

(vii) बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि के भीतर न करनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा टेलीफोन बिल ₹3064 (माह 01/15, रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 9) का भुगतान किया गया था। इस बिल में पिछली अवधि की बकाया राशि विलम्ब शुल्क सहित सम्मिलित थी। बिलों का भुगतान निर्धारित

तिथि के भीतर न करना अनियमित है। अतः भविष्य में बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(viii) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान/जमा/समायोजन सम्बन्धी आवश्यक पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार (रफ शीटस की पृष्ठ संख्या 3 पर) सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

रोकड़ बही	माह	राशि	विवरण
सामान्य	03/16	–––	सामान्य रोकड़ बही में माह में आय/प्राप्तियों से सम्बन्धित रसीदें नहीं दर्शाई गई
	10/16	–––	–यथोपरि–
वाटर शेड	01/15 10/16	25000 25000 25000	वाटर शेड के अन्तर्गत विभिन्न समूहों को राशियाँ प्रदान की गई थी चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया था कि यह राशियाँ विभिन्न समूहों को उपयोग हेतु 18 माह के लिए दी जाती है परन्तु इन राशियों की वापसी सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण इन राशियों की वापसी निर्धारित अवधि के भीतर की गई थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः राशियों के आबंटन सम्बन्धी नियम तथा इनकी वापिसी से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः— अलग से जारी नहीं की गई।

18 निष्कर्षः— खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 28/2017—खण्ड—1 —1591—1594 दिनाँक 01.03.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत दिग्गल विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881